पत्रावली आदेश हेतु ... 10.22
को पेश हो

14/10/22 उभय पक्ष ... पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 11.11.22 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

11.11.22 पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित वकील वादी की पुनः बहस सुनी गयी। वकील वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:35:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय एवं सब डिविजनल ऑफिसर,माण्डल जिला–भीलवाड़ा

प्रकरण सं. 82 सन् 2012 वाद

अनवान

ज्ञादूलाल पुत्र जयकिशन माली — बनाम — रामेश्वर लाल पुत्र बाजूराम महाजन

निवारी माण्डल तहसील माण्डल — पटवारी निवासी माण्डल तहसील माण्डल

वादपत्र बाबत् इन्द्राज दुरुस्ती घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से–श्यामलाल वेद

उपस्थित

प्रतिवादी की ओर से–अनुपस्थित

निर्णय दिनांक 11.11.2022

–: निर्णय :–

संक्षेप में मामला यह है कि वादी की खातेदारी हक की आराजी नं. 2845 रकबा 1.00 बीघा साबिक रेकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 के खाता संख्या 1331 में दर्ज होकर स्थित है जो सेटलमेंट ऑपरेशन के दौरान उक्त आराजी में नवीन परिवर्तित आराजी नं. 4321 रकबा 0.16 बिस्वा कायम हुई है। जबकि नवीन जरीब 165 फीट के अनुसार रकबा 0.17 बिस्वा भूमि नवीन राजस्व रेकॉर्ड व नवीन नक्शा ट्रेस में दर्ज होना चाहिए था इस प्रकार सेटलमेंट ऑपरेशन के दौरान वादी की नवीन आराजी नं. 4327 रकबा 0.16 बिस्वा में 0.01 बिस्वा कम दर्ज करने की त्रुटि हुई है। इस प्रकार यह 0.01 बिस्वा रकबा प्रतिवादी की नवीन आराजी नं. 4326 के रकबा में शामिल कर दिया। प्रतिवादी की नवीन आराजी नं. 4326 के साबिक आराजी नं. 2844 रकबा 0.12 बिस्वा से परिवर्तित नं. कायम हुए। इस तरह सेटलमेंट के दौरान भू–प्रबध कर्मियों ने प्रतिवादी के नवीन आराजी नं. 4326 रकबा 0.12 बिस्वा साबिक आराजी नं. 2844 के रकबा 0.12 के बराबर ही दर्ज किया है। जबकि 0.01 बिस्वा रकबा नवीन आराजी नं. 4326 के रकबे में 0.12 बिस्वा न होकर 0.11 बिस्वा ही दर्ज करना चाहिए। इस प्रकार नवीन राजस्व रेकॉर्ड में आराजी नं. 4321 के रकबे में 0.01 बिस्वा कम व नवीन आराजी नं. 2844 के रकबें के बराबर दर्ज करके त्रुटि की जो कि दुरुस्त किये जाने योग्य है। इसके दुरुस्तीकरण के बारे में वादी न प्रतिवादी को बार–बार निवेदन किया और आखिरी बार दिनांक 02.02.2011 को प्रतिवादी को कहना भी निरर्थक रहा। इसीलिए वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ। इस प्रकार वादी को वादपत्र में अनुतोष के मुताबिक नवीन आराजी नं. 4321 रकबा 0.16 बिस्वा में 0.01 बिस्वा रकबा नवीन आराजी नं. 4326 के पश्चिमी दिशा से कम करके वादी को नवीन आराजी [illegible] के रकबे में शामिल करके नवीन आराजी नं. 4327 रकबा 0.17 बिस्वा का इन्द्राज [illegible] व वादी खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री प्रतिवादी के विरुद्ध पारित की जावे [illegible] ही वादपत्र अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री भी वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरुद्ध नवीन आराजी नं. 4326 के रकबे में से 0.01 बिस्वा के भूभाग से जो वादी की नवीन आराजी नं. 4327 साबिक रेकॉर्ड अनुसार आराजी नं. 2845 जिस पर वादी के कब्जे काश्त की पूर्वी दिशा से जुड़े हुए भाग से प्रतिवादी वादी को बेदखल नहीं करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:35:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

दी के वादपत्र को बाद जांच दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी के सम्मन से जवाबदेही हेतु दिनाक 12.
.2012 को तलब किया। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री मुरलीधर जोशी का अधिकार पत्र
नांक 10.04.2012 को प्रस्तुत हुआ। लगातार कई अवसर लेने के बावजूद प्रतिवादी के द्वारा कोई
ाबदेही नहीं की जाने से दिनांक 29.11.2019 को प्रतिवादी की ओर जवाबदावा नहीं पेश होने से
ाबदावा बंद किये जाने का आदेश पारित किया गया। ओदश 08 नियम 10 जा.दी. के तहत
र्णित किये जाने का आदेश पारित किया गया। न्यायालय द्वारा इस मामले में दिनांक 30.09.2022
वादी की ओर से अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को
हराते हुए साबिक एवं वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदियां। साबिक नक्शा एवं हाल नक्शों का
वलोकन करते हुए खसरा मिलान के अनुसार नवीन आराजी नं. 4327 के पुराने न. 2845 से बनना
या गया। जो वादी के पिता जयकिशन के नाम पर दर्ज होना पाया गया। इसी तरह नवीन
राजी नं. 4326 पुराने नं. 2844 से बनना पाया गया। परंतु सेटलमेंट के दौरान जो जरीव 165
ट की काम में ली गई। उसके अनुसार वादी की नवीन आराजी नं. 4327 के रकबे में 0.01 बिस्वा
मे कम दर्ज होना साफ–साफ तौर से प्रमाणित होता है। क्योकि प्रति बीघा नवीन रकबे मे 0.17
स्वा दर्ज होना चाहिए। इसी तरह प्रतिवादी की नवीन आराजी न. 4326 के रकबे में पुराने रकबे के
नुसार ही 0.12 बिस्वा दर्ज करना त्रुटिपूर्ण है। नवीन आराजी नं. 4326 के रकबे 0.12 के सीन 0.
बिस्वा रकबा ही दर्ज होना चाहिए। इसीलिए वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

न्यायालय द्वारा अधिपति पत्रावली का अवलोकन करने से वादी की नवीन आराजी नं.
27 रकबा 0.16 बिस्वा में 0.01 बिस्वा भूमि कम दर्ज होना प्रमाणित है और प्रतिवादी की नवीन
राजी नं. 4326 के रकबे में पुराने रकबे के मुताबिक 0.01 बिस्वा रकबा ज्यादा दर्ज होना भी साफ
ाहिर होता है इसीलिए वादी के नवीन राजस्व रेकॉर्ड की नवीन आराजी नं. 4327 के रकबे
तेवादी की नवीन आराजी नं. 4326 के रकबे में से पश्चिमी भाग से 0.01 बिस्वा भूमि कम करके
दी की नवीन आराजी नं. 4327 के पूर्वी भाग में शामिल करते हुए राजस्व रेकॉर्ड व नक्शा में
रुस्त किया जाना विधि सम्मत् है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित् है।

–:आदेशः–

अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। वादी की नवीन आराजी न. 4327 के
र्वी भाग में 0.01 बिस्वा भूमि प्रतिवादी की नवीन आराजी नं. 4326 के पश्चिमी भाग से कम करके
ामिल किये जाने का आदेश पारित कर वादी को उक्तानुसार खातेदार काश्तकार खातेदार
ाश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वह
ादी को साबिक रेकॉर्ड अनुसार कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करे। तद्नुसार डिक्री पारित हो। अतः
ह निर्णय न्यायालय की मुद्रा एवं हस्ताक्षर से विस्तृत न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:35:50 IST
Reason: SelfAttested

(... लाल जीगनर)
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी